

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग  
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र. 01, रायपुर (छ.ग.)

झाप क्र. 1612 / शिल्प / कॉरीडोर-10 / 930  
प्रति,

रायपुर दिनांक 11/05/2017

कलेक्टर बालोद,  
जिला-बालोद (छ.ग.)

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरुर-झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्डड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 464 / शिल्प / कॉरीडोर -10 / 930 रायपुर दिनांक 08.02.2017 ।

---: 000 :-

कृपया विषयान्तर्गत सदरभित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त सदरभित पत्र अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरुर -झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/4 लेन मय पेव्डड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य जो जिला बालोद के तहसील बालोद एवं डौण्डी लोहारा के राजस्व ग्राम झलमला, सिवनी, देउरतराई, हीरापुर, बालोद, वनगांव, दानीटोला, गुजरा, सुतरबोड़, जमही, शिकारीटोला, कुसुमकसा, अरमुरकसा, पथराटोला, खम्हारटोला, चिखलाकसा, विटाल, धोवेदंड, झिकाटोला, हितकरसा तक बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त राजस्व ग्रामों में से राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रभावित ग्राम दानीटोला का भूमि खसरा नंबर 307 रकबा 1.05 हे. राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिए प्रदर्श 'स' में अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

कृपया संलग्न अनुसूची-1 के आधार पर राजस्व वन भूमि का प्रतिहरताक्षरित प्रारूप एवं प्रदर्श 'स' में अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
कार्यपालन अभियंता  
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01  
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)


संलग्न :- अनुसूची-1।

पृ.क्र. 1612 / शिल्प / कॉरीडोर-10 / 930

रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी रा.रा. अनुविभाग लो.नि.वि. बालोद छ.ग. की ओर आ कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
कार्यपालन अभियंता  
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक  
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)